vizSy 2020

# हिमाचल
# शूरवीर
# हितैषी

निदेशक :
सैनिक कल्याण विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार
पिन–177001

# नोट

इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री केवल पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को जागरूक करने के लिए है। उचित प्राधिकार एवं प्रक्रिया सम्बन्धित जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

# हिमाचल शूरवीर हितैषी

## हिमाचल प्रदेश राज्य सैनिक कल्याण विभाग की

# त्रैमासिक पत्रिका

Chief Editor & Publisher
**Harikesh Meena, IAS**
Director-cum-DC Hamirpur

## ***संदेश***

हिमाचल प्रदेश सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के लिये बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं । यह देखा गया है कि रोजगार सम्बंधी जानकारी के अभाव में बहुत से पूर्व सैनिक इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हमारा प्रयत्न है कि अधिक से अधिक पूर्व सैनिकों तक पर्याप्त जानकारी पहुँच सके।पूर्व सैनिक किसी भी तरह की समस्या निवारण के लिये जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है। इस निदेशालय के टोल फ्री नं० 01972–220221 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं । केन्द्र सरकार ने भी पूर्व सैनिकों के लिये रोजगार प्रदान करने में आरक्षण का प्रावधान कर रखा है परन्तु सूचना के अभाव में पूर्व सैनिक इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं । पूर्व सैनिक पुनर्स्थापना निदेशालय की वेबसाइट पर रोजगार सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

यह भी देखा गया है कि पूर्व सैनिक विभिन्न पदों की भर्ती और पदोन्नति नियमों के अनुसार अपनी योग्यता एवं दक्षता बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करते हैं, जिस कारण पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित बहुत से पद खाली रह जाते हैं और पूर्व सैनिकों को इन में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। विभाग विभिन्न योजनाओं एवं रोजगार सम्बन्धित जानकारी पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ताकि पूर्व सैनिक इसका लाभ उठा सकें । शूरवीर हितैषी पत्रिका का प्रकाशन भी इसी दिशा में एक प्रयास है।

जय हिन्द।

आपका सेवक,

(हरिकेश मीणा, भा.प्रा.से.)
निदेशक
सैनिक कल्याण, हि०प्र०
फोन : 01972-221854

# विभागीय कार्यकलाप / गतिविधियां

## टोल फ्री नंबर

पूर्व सैनिक, सैनिक विधवाएं व उनके आश्रित नौकरी व पेंशन से सम्बंधित, राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिये टोल फ्री नं0 01972-220221 पर सम्पर्क कर सकते हैं ।

## पुनर्रोजगार

पूर्व सैनिकों की पुनर्स्थापना एवं पुनर्रोजगार हिमाचल प्रदेश सरकार के लिये सदैव ही प्राथमिकता का विषय रहा है। प्रदेश के विभिन्न विभागों से पूर्व सैनिकों के पदों की मांग पर समय समय पर साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है । 09 से 26 फरवरी 2020 को सामान्य श्रेणी के पूर्व सैनिक जो दिसम्बर 2013 तक पंजीकृत हैं और आरक्षित श्रेणी के पूर्व सैनिक जो दिसम्बर 2017 तक पंजीकृत हैं उनका विभिन्न पदों के लिये साक्षात्कार किया गया ।

01 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक विभिन्न श्रेणियों में पूर्व सैनिकों के मनोनयन का ब्यौरा इस प्रकार से है :–

| Sr No | Name of Designation | Total Nos |
|---|---|---|
| 1. | Clerk | 07 |
| 2. | TGT | 11 |
| 3· | Gallery Attendant | 03 |
| 4· | Drawing Master | 01 |
| 5. | PET | 01 |
| 6. | Publicity Assistant | 01 |
| 7. | Stastical Assitant | 04 |
| | Total | *28* |

**अनुग्रहपूर्वक अनुदान :-** युद्ध में शहीद हुए सैनिकों, अपंग हुए सैनिकों व अन्य कारणों से स्वर्गवास होने वाले सेवारत सैनिकों व अर्द्धसैनिक बलों के जवानों के निकटतम सम्बंधी को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुग्रह अनुदान प्रदान किया जाता है। जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों, अपंग हुए सैनिकों व अन्य कारणों से मरने वाले कुल 06 सैनिकों के परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान 45,00,000 / — रूपये की राशि प्रदान की गई।

**वीरता पुरस्कार विजेता अनुदान :-** जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 13 नये वीरता पुरस्कार विजेताओं को 4,87,372 / — रूपये की राशि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 166 वीरता पुरस्कार विजेताओं को 46,43,093 / — रुपये की बार्षिकी की राशि प्रदान की गई ।

**निशुल्क बस यात्रा :-** हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कुल 1320 वीरता पुरस्कार विजेताओं तथा उनकी विधवाओं और युद्ध विधवाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के भीतर निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है। बर्ष 2019—20 में अभी तक 35 नये बस पास प्रदान किए गए हैं।

## वर्ष 2019–20 में उपलब्धियाँ

1. वर्ष 2019 में –– पूर्व सैनिकों का श्रेणी 3 व 4 के पदों पर विभिन्न विभागों की मांग अनुसार पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष द्वारा रोजगार हेतू नामांकन ।

2. 525 नॉन पैन्शनर पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं को प्रति लाभार्थी 30,000/– रुपये की दर से मुबलिग 1,97,72,320/– रुपये की बुढ़ापा आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

3. 966 द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को वर्ष 2019–20 में 5,54,76,386/–रुपये की बुढ़ापा आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

4. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 में युद्ध जागीरों के बदले 5,000/– रुपये वार्षिक अनुदान की दर से कुल 452 लाभार्थियों को 23,10,115/–लाख रुपये की राशि वितरित की गई ।

5. राज्य सरकार द्वारा वीरता पुरस्कार व युद्ध विधवाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की डीलक्स और साधारण बसों में राज्य के अन्दर निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है । हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 में कुल 35 शौर्य पुरस्कार विजेताओं व 18 युद्ध विधवाओं को यह सुविधा प्रदान की गई। प्रदेश में कुल 1320 शौर्य पुरस्कार विजेताओं व युद्ध विधवाओं को यह सुविधा प्रदान की जा रही है ।

6. सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत सैनिकों की आकस्मिक मृत्यु पर उनके 02 परिजनों को प्रति लाभार्थी 15,000/– रुपये की दर से मुबलिक 30,000/– रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता ।

7. शौर्य पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों को उनकी बहादुरी के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार नकद ईनाम, वार्षिकी व भूमि के एवज में अनुदान देती है । हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 में कुल 1049 शौर्य पुरस्कार विजेताओं को 3,11,75,322/– रुपये की राशि वितरित की गई ।

8. क्वीन मैरी तकनीकी स्कूल, किरकी स्थित पुणे तथा पैराप्लैजिक पुनर्वास केन्द्र मोहाली में प्रशिक्षणरत हिमाचल प्रदेश के विकलांग पूर्व सैनिकों की देखरेख के लिये वर्ष 2019–20 में 08 विकलांग पूर्व सैनिकों हेतू कुल 8,00,000/– रुपये की सहायता राशि वितरित की गई ।

9. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध में मारे गए व अपंग हुये सशस्त्र सेना कर्मियों, अर्द्धसैनिक बलों व सेना सुरक्षा कोर के सदस्यों के परिजनों को अनुग्रह अनुदान प्रदान किया जाता है । वर्ष 2019–20 में कुल 44 परिजनों को 3,66,70,000/– रुपये की राशि वितरित की गई ।

10. केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2019–20 में निम्नलिखित आवेदन विभाग द्वारा संस्तुति उपरान्त केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतू भेजे गए :–

| क0 स0 | योजना | कुल स्वीकृत आवेदन |
|---|---|---|
| (क) | हवलदार/समकक्ष या उससे नीचे के रैंक के पूर्व सैनिक के दो बच्चों को कक्षा एक से बी0ए0 तक की शिक्षा हेतू आर्थिक सहायता। | 2409 |
| (ख) | हवलदार/समकक्ष या उससे नीचे के रैंक के पूर्व सैनिकों की बेटी की शादी हेतू आर्थिक सहायता | 460 |
| (ग) | 65 वर्ष से ऊपर के नॉन पैन्शर सैनिक व उनकी विधवाओं को भरण पोषण अनुदान | 13 |
| (घ) | प्रधानमन्त्री छात्रवृत्ति योजना | 235 |
| (ङ) | 100 प्रतिशत अपंग सैनिक के लिये आर्थिक सहायता | 02 |
| (च) | अपंग पूर्व सैनिकों को चलने के लिये उपकरण | 01 |

11. प्रदेश व केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के कल्याण हेतू चलाई जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हेतू विभाग द्वारा निम्न माध्यम अपनाए गए हैं :–

(क) शूरवीर हितैशी त्रैमासिक विभागीय पत्रिका।
(ख) विभागीय वैबसाइट http://swd.hp.gov.in तथा विभिन्न समाचार पत्र।
(ग) विभागीय पत्रिका मार्गदर्शिका।
(घ) प्रदेश व केन्द्र सरकार की योजनाओं की विवरणिका ।
(ड.) प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पूर्व सैनिक सम्मेलनों का आयोजन।

## हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनायें

1. **स्वरोजगार के लिये ऋण** :— निगम का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों का कल्याण और आर्थिक उत्थान करना है । स्वरोजगार के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाता है । प्रार्थी को योजना की राशि का 75 प्रतिशत धन ऋण के रुप में बैंक प्रदान करता है तथा निगम 10 प्रतिशत सूक्ष्म ऋण के रुप में प्रदान करता है, जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख है और भोश 15 प्रतिशत प्रार्थी को स्वयं व्यय करना पड़ता है । निगम ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज लेता है तथा बैंक ऋण पर 2.5 प्रतिशत ब्याज सहायकी प्रदान करता है ।

2. **सीमेंट/कलींकर की ढुलाई का कार्य**. निगम ने ए0सी0सी0 सीमेंट फैक्टरी बरमाणा में कुल उत्पाद का 40 प्रतिशत सीमेंट उत्तरी भारत के विभिन्न स्थानों में पहुँचाने का कार्य ले रखा है । अम्बूजा सीमेंट दाड़लाघाट में सीमेंट/कलींकर की ढुलाई का 7.5 प्रतिशत हिस्सा आबंटित है । जे0पी0 सीमेंट प्लांट बागा में भी सीमेंट/कलींकर की ढुलाई का 5 प्रतिशत हिस्सा आबंटित है । उपरोक्त सीमेंट फैक्टरियों में ट्रक अटैच करने के लिये इच्छुक पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिकों की विधवायें प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में मुख्यालय हमीरपुर में लिस्ट में अपना नाम दर्ज करने के लिये आवेदन कर सकते हैं ।

3. **सुरक्षा सेवाऐं**. हिमाचल सरकार ने पूर्व सैनिकों को सुरक्षा सेवाओं में आउटसोर्स के आधार पर नियुक्त करने के लिये अधिकृत किया है और पूर्व सैनिकों के नाम विभिन्न विभागों, बोर्डों, संस्थाओं एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार के उपक्रमों को प्रायोजक/स्पॉन्सर करने के लिये हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम को नोडल ऐजैंसी घोषित किया है । इच्छुक पूर्व सैनिक हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर में अपना नाम पंजीकरण करवा सकते हैं।

4. **पूर्व सैनिकों एवं सेवारत सैनिकों के बच्चों को एस0एस0बी0 की कोचिंग**. निगम ने पूर्व सैनिकों के बच्चों को एस0एस0बी0 की कोचिंग अधिकृत अकादमी के माध्यम से देने की व्यवस्था की है, जिसके अन्तर्गत एन0डी0ए0, आई0एम0ए0, ओ0टी0ए0, ए0सी0सी0, एस0एल0, टी0जी0सी0, 10+2(टैक्नीकल) कैडेट एन्ट्री व महिला सर्विस एन्ट्री के लिये कोचिंग दी जाती है । कोचिंग में प्रवेश उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाता है जिन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली हो तथा एस0एस0बी0 साक्षात्कार का इन्तजार कर रहे हों ।

5. **पूर्व सैनिकों के बच्चों का JEE/Engineering and NEET/Medical कोर्स में प्रवेश के लिये क्रैस कोर्स करवाना**. निगम सेवानिवृत पूर्व सैनिकों (सिपाही से हवलदार तक के रैंक) जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, के बच्चों को JEE/Engineering and NEET/Medical में प्रवेश के लिये अकादमी के माध्यम से क्रैश कोर्स प्रदान करता है । इस योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत पूर्व सैनिकों के बच्चों की टयूशन फीस की राशि निगम अपने आय के स्त्रोतों से भुगतान करता है । अभ्यर्थी के 10+1(Physics, Chemistry, Maths and Biology) में 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक होना अनिवार्य है ।

## केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं

1. युद्ध में शहीद/अपंग/गुम हुये सैनिकों के बच्चों के शिक्षा पूर्ति दावों को भरने के लिये ध्यान रखने योग्य बातें. शिक्षा पूर्ति दावा के लिये निम्नलिखित दस्तावेज स्व–हस्ताक्षित करके क्रमानुसार लगाऐं :–

| | | |
|---|---|---|
| (क) | फुटकर बिल (Contingent Bill ) (हर बच्चे का अलग अलग शैक्षिक सत्र के लिए ) | |
| | (1) | फुटकर बिल के सभी कॉलम भरना अनिवार्य है । फोटो की जरुरत नहीं है । |
| | (2) | फुटकर बिल पर आवेदक (बच्चे के माता/पिता/गार्डियन का हस्ताक्षर होना चाहिए तथा स्कूल/संस्थान/कॉलेज के प्रिंसिपल/रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर स्टाम्प सहित होने चाहिए । रसीदी टिकट नहीं लगाएं । |
| | (3) | क्लेम एकल शीट (दोंनो तरफ प्रिन्ट) पर होना चाहिए । अगर फुटकर बिल दो पृष्ट पर है तो दोनों पेजों पर स्कूल/संस्थान/कॉलेज के प्रिंसिपल/रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर स्टाम्प सहित होने अनिवार्य है । |

| | |
|---|---|
| (ख) | **फीस रसीद**. पूरे शैक्षणिक सत्र की मूल फीस रसीद फुटकर बिल के साथ लगाएं जिसमें (अलग अलग मदों) जैसे टयूशन फीस, स्कूल बोर्डिंग फीस, मैस बिल तथा स्कूल बस फीस का ब्यौरा अंकित हो । किराए का मकान/पी.जी. का बिल मान्य नहीं है **।** |
| (ग) | **यूनिफार्म दावा**. पूरे शैक्षणिक सत्र के लिये यूनिफार्म (जहां अनिवार्य) तथा स्टेशनरी की मूल रसीद लगाएं । |
| (घ) | **यातायात दावा**. स्कूल/कॉलेज/संस्थान द्वारा चलाई जा रही बसों या रेलवे पास का असल किराया जिस पर स्कूल/संस्थान/कॉलेज के प्रिंसिपल/रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर स्टाम्प सहित होना अनिवार्य है । |

2. **एजूकेशन एनटाइटलमेंट कार्ड.** लाभार्थी के निवेदन है कि वे अपना एजूकेशन एनटाइटलमेंट कार्ड नए फोर्मेट के अनुसार सम्बन्धित विभाग से बनवा कर उसकी कॉपी बिल के साथ भेजें

3. **बैंक का ब्योरा.** कार्यशील बैंक खाते की रद चेक की कॉपी लगाएं । अन्य बैंक संम्बधित दस्ताबेज मान्य नहीं है जैसे NEFT मैनडेट फार्म आदि ।

4. **सेवारत अधिकारी/जेसीओ/अन्य.** अपना क्लेम अपनी यूनिट जहां वर्तमान तैनाती है उनके द्वारा सह पत्र (covering letter) पर निम्नलिखित को प्रमाणित करवा कर भेजें :–

| | |
|---|---|
| (क) | शिक्षा पूर्ति दावा किसी भी अन्य स्त्रोत जैसे PAO(OR)/PCDA(O) से नहीं लिया गया है । |
| (ख) | सभी बिल/रसीदें प्रमाणिक/असली हैं । |
| (ग) | आवेदन कर्ता का स्थाई मोबाइल नं0 । |

5. भूतपूर्व सैनिक/वीरनारी शिक्षा पूर्ति दावा Station HQ/Sub Area HQ/Secy ZSB/RSB के सह पत्र और आवेदन कर्ता के स्थाई मोबाइल नं0 के साथ सेना मुख्यालय को भेजें ।

6. जरुरी कार्यवाही के उपरांत सेना मुख्यालय द्वारा शिक्षा पूर्ति दावा HQ PCDA, Misc Section, G Block को पेमेंट के लिये भेज दिया जाता है । अगर बिल पास हो जाता है तो उसकी देय राशि एक माह के अन्दर, Misc Section, G Block द्वारा आवेदक के अकाउंट में भेज दी जाती है ।

# भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम

**1. परामर्श/रेफरल के लिये दूसरे अस्पताल में भेजने सम्बंधित संशोधित दिशा–निर्देश निम्न प्रकार है :–**

| | |
|---|---|
| (क) | इ0सी0एच0एस0 चिकित्सक अधिकारी या इ0सी0एच0एस0 विशेषज्ञ द्वारा किसी इम्पैन्लड निजी अस्पताल में परामर्श के लिये जारी रैफरल फार्म केवल 30 दिन के लिये मान्य होगा । |
| (ख) | जारी किया गया रैफरल फार्म इम्पैन्लड निजी अस्पताल में 30 दिन में केवल तीन बार के लिये ही मान्य होगा । |
| (ग) | परामर्श के लिये जारी रैफरल, यदि जरुरत पड़ती है, तो सिंगल विजिट में तीन विशेषज्ञों का परामर्श ले सकते हैं । |
| (घ) | इ0सी0एच0एस0 चिकित्सक अधिकारी या इ0सी0एच0एस0 विशेषज्ञ द्वारा जांच (इन्वेस्टीगेशन) के लिये जारी हिदायत या सलाह 30 दिन तक मान्य होगी । |
| (ङ) | इ0सी0एच0एस0 चिकित्सक अधिकारी या इ0सी0एच0एस0 विशेषज्ञ द्वारा उपचार प्रक्रिया के लिये दी गई सलाह या हिदायत 3 महीने तक मान्य होगी । |
| (च) | यदि इम्पैन्लड निजी अस्पताल के विशेषज्ञ द्वारा मेडिकल आपातकाल के रुप में जांच की सलाह या हिदायत दी गई है तो उसी इम्पैन्लड अस्पताल में जांच हो सकती है । |

2. 75 साल से अधिक आयु के इ0सी0एच0एस0 सदस्य बिना रेफरल फार्म के इम्पैन्लड निजी अस्पताल के विशेषज्ञ से सीधे परामर्श ले सकते हैं परन्तु विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित दवाई केवल इ0सी0एच0एस0 चिकित्सालय से ही मिलेगी ।

3. गंभीर बीमारी वाले इ0सी0एच0एस0 सदस्य इ0सी0एच0एस0 इम्पैन्लड निजी अस्पताल में निम्न के अनुसार अपना उपचार करवा सकते हैं :–

| | | |
|---|---|---|
| (क) | शल्यचिकित्सा के उपरान्त निरंतर उपचार के लिये उन मरीजों को जिन्हें बार– बार इन्पैन्लड निजी अस्पताल के विशेषज्ञ की सलाह की जरुरत है उनको बार–बार अनुमति की जरुरत नहीं है और वो बिना किसी सीमा के सी0जी0एच0एस0 के रेटों के अनुसार उपचार जारी रख सकते हैं । | |
| (ख) | शल्यचिकित्सा के उपरान्त परामर्श / जांच केवल निम्न उपचार के लिये अनुमति है :– | |
| | (1) | हृदय शल्य और कॉरनरी एंजियोग्राफी । |
| | (2) | पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट मरीज (लिवर, किडनी, हृदय इत्यादि ) । |
| | (3) | पोस्ट न्युरो सर्जरी / पोस्ट ब्रेन स्ट्रोक मरीज जिन्हें निरंतर उपचार की जरुरत है । |
| | (4) | ऐंड स्टेज रेनल रोगी / लिवर फेलर रोगी जिन्हें उपचार की जरुरत है । |
| | (5) | कैंसर उपचार रोगी । |
| | (6) | ऑटो इम्मयुन डिस–ऑर्डर जैसे रुमेटाइड अर्थराइटस जिन्हें उपचार की जरुरत है । |
| | (7) | न्यूरोलोजिकल डिसऑर्डर जैसे डिमेंशिया, अल्जाइमन रोग, पार्किंसन इत्यादि । |
| (ग) | मरीजों को दवाई इ0सी0एच0एस0 चिकित्सालय द्वारा दी जायेगी । | |
| (घ) | विशेषज्ञ द्वारा किसी जांच की सलाह दी जाती है जोकि नॉन लिस्टड जांच में आती है तो आपालकाल के अलावा सम्बंधित प्राधिकारी से उसकी अनुमति या रेफरल की जरुरत होगी । | |

**<u>प्राधिकार</u>** : भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, नई दिल्ली पत्र संख्या 22डी(06) / 2019 / डब्ल्यू / डी (रिर्जव) दिनांक 03 फरवरी 2020 ।

# केन्द्रीय सैनिक विश्रामगृह, नारेणा (नई दिल्ली)

1. रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिकों व उनके आश्रितों की सुविधा के लिये नारेणा (नई दिल्ली) में केन्द्रीय सैनिक विश्रामगृह स्थापित किया गया है । इस विश्रामगृह में सेनाधिकारियों व अन्य सैनिकों के ठहराव के लिये उचित प्रबन्ध किया गया है, जिसका ब्योरा निम्न प्रकार से है :–

(क) सेना अधिकारी – दो बिस्तर वाले 10 कमरे ।
(ख) जे0सी0ओज0 – दो बिस्तर वाले 05 कमरे व 08 बिस्तर वाले दो शयनगृह ।
(ग) जवान – दो बिस्तर वाले 05 कमरे व 08 बिस्तर वाले दो शयनगृह।
(घ) भोजन कक्ष ।
(ङ) सम्मेलन हॉल/बहुउद्देशीय हॉल/मिनी हॉल ।

**2. पात्रता.**

(क) पूर्व सैनिक/उनके आश्रित, सैनिक जो दिल्ली में पुनर्वास कोर्स कर रहे हैं और सेवारत सैनिक व उनके आश्रित, यदि जगह उपलब्ध है, के लिये ।
(ख) सैनिक बोर्ड की मीटिंग/या अन्य मीटिंग के लिये।
(ग) भर्ती मेला/रैली, युद्ध विधवाओं की मीटिंग, सेना पेन्शन अदालत, वीरता पुरस्कार विजेताओं की मीटिंग/सेमिनार के लिये ।
(घ) सैनिक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र/पुनर्वास प्रशिक्षण के लिये
(ङ) पूर्व सैनिकों, विधवाओं और गैर सैनिकों की शादी या अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिये । इसके लिये निर्दिष्ट दर का भुगतान करना होगा ।
(च) पूर्व सैनिकों के हित के सम्बन्ध में अन्य कार्यक्रम के लिये ।

3. बुकिंग. इसमें ठहरने या अन्य कार्यक्रम के लिये आवेदन 15 दिन पहले किया जा सकता है । सेनाअधिकारी, जे0सी0ओ0 व अन्य जवान एक दिन पहले बुकिंग करवा सकते हैं । बुकिंग केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेब साइट www.ksv.gov.in द्वारा सभी कार्य दिवस के दिन 1030 बजे से 1530 बजे तक ऑन लाइन होगी । इसके लिये पैसा POS/NEFT/Paytm द्वारा अग्रिम जमा करवाना होगा ।

नोट : ज्यादा जानकारी के लिये केन्द्रीय सैनिक विश्रामगृह के दूरभाष नं0 011–25777049 पर सम्पर्क कर सकते है ।

**ARMY WELFARE EDUCATION SOCIETY (AWES)**
**ADMISSION NOTICE : B.Sc (NURSING) DEGREE COURSE**

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Online applications invited for Admission Test to B.Sc (Nursing) Degree Course at Army College of Nursing (ACN), Jalandhar Cantt and Army Institute of Nursing (AIN), Guwahati. Both colleges recognised by Indian Nursing Council, New Delhi.

**Army College of Nursing ( ACN), Jalandhar Cantt.** Affiliated to Baba Farid Univrsity of Health Sciences, Faridkot. Address : Dep Nagar, Jalandhar Cantt-144005. Tele/Fax : 0181-2266167, 2660080. Website : www.acn.co.in. Email : can_mh@yahoo.co.in. No of Seats : 60. Qualification : 10+2 with Physics, Chemistry and Biology with minimum 45% aggregate marks. Eligibility Criteria : Admission exclusively for daughters of Serving and Retired Army Personnel.

**Army Institute of Nursing (AIN), Guwahati.** Affiliated to Srimanta Sankaradeva University of Health Sciences, Assam. Address : c/o 151 Base Hospital, c/o 99 , PIN-903151. Tele/Fax : 0361-2307101, Mob No : 9401549593. Website : www.ainguwahati.org. Email : ainguwahati@yahoo.co.in. No of Seats : 50. Qualification : Candidate must have passed 10+2 in the first attemp with a minimum of 50% marks each in Physics, Chemistry, Biology and English. Eligibility Criteria : 90% seats exclusively reserved for daughters of Serving and Retired Army Personnel and 10% seats reserved for civilian female students of North East (NE) States (selection through Online Admission Test (OAT).

**How to Apply ?** Prospectus may be downloaded from respective college websites : Candidates to apply online only on ACN website (www.acn.co.in)

Application Fee : Rs. 1000/- for each institution (Online Payment only).

**Notes :** Candidates to apply for each institution (ACN and /or AIN), if desirous to be considered for more than one institution.

No Offline applications/document will be accepted.

Tele/Fax No : 26195676

Integrated HQ of MoD(Army)
Adjutant General's Branch
Addl Dte Gen MP/MP 8(I of R)
Wst Block III, RK Puram
New Delhi-110066

A/20105/48/MP8(I of R) (A3)

31 Jan 2020

Kendriya Sainik Board
Ministry of Defence
Government of India
West Block IV, Wing VII
RK Puram, New Delhi-110066

WELFARE EX-SERVICEMEN : CHANGE OF DISTRICT/STATE

1. Reference your letter No 057/Policy/Misc/Vol-I dt 30 Dec 2019.

2. As per Paragraph 191 of Documentation Procedure JCOs/OR 1992, verification from the old as well as new District Sainik Boards is mandatory requirement to publish the Part II Order for change of home address in case of an ex-servicemen migrates from one place to another under the jurisdiction of different ZSWOs.

3. However, in case of change of State/District/Tehsil due to re-organisation, self declaration by the ex-serviceman duly countersigned by ZSWO and supported with the relevant Govt Notification , will suffice under the provisions of Paragraph 198 of Documentation Procedure JCOs/OR 1092 for publication of Part II Order by Record Offices.

4. For Information and wide publicity please.

Sd/--xx
(Ashwani Sharma)
Col
Col MP 8 (I of R)
For Adjutant General

Copy to :-
All Record Offices - for information and strict compliance please.

## HOMES FOR HEROES : HOUSING PROGRAMME IN ASSOCIATION WITH AWHO

**1.** As a token of gratitude to the brave hearts of our country, Tata Housing and Tata Value Homes in association with Army Welfare Housing Organisation (AWHO), brings a special housing programame for retired & serving army officers and widows of army personnel.

**2.** Self-sustaining integrated township being developed by LUNKAD Group in collaboration with AWHO.

**3.** **Location :** Near Ranjangaon, Pune (49 Kms from Pune and 66 KMs before Ahmednagar).

**4.** **Cost :** 1 BHK – 664 Sqft - Rs. 1506 Lacs.

2 BHK – 1106 Sqft - Rs. 26.43 Lacs.

**5.** **Highlights.**

(a) Good Connectivity.

(b) Top of the List for the Govt's “Make in India” Thrust.

(c) Large No of companies and employment opportunities.

(d) Proximity to Pune, Mumbai and Ahmednagar.

(e) Good Infrastructure

(f) All modern amenities including Club House, APS like School, Skill Development Centre, Hospital with ECHS and CSD.

**Note :** For more information, please visit www.awhosena.in or contact Mob No 9931350196 or call 1800 266 8568.

Integrated HQ of MoD(Army)
AG's Branch
Dte Gen of Medical Services (Army)
'L' Block, New Delhi-110001

B/76782/ECHS/Policy/DGMS-5B 06 Jan 2020

Headquarters
Sourthern Command (Med)
Eastern Command (Med)
Western Command (Med)
Central Command (Med)
Northern Command (Med)
South Western Command (Med)

TREATMENT TO VETERANS AND THEIR DEPENDENTS

1. MoD, IHQ of MoD(Army) , Sr functionaries and our esteemed veterans have repeatedly flagged that ECHS Polyclinics are facing shortage of medicines. This problem is further compounded by refusal/reluctance of empanelled hospitals to admit ECHS members due to their pending unpaid bills. The present issue is likely to be further compounded in future with lower fin allocations than projected demand. With the view to address the hardship faced by the veterans, it is our onerous duty to do everything possible to mitigate suffering.

2. In light of the above facts, it is requested that the service hospitals under your respective AOR be directed to provide OPD as well as in-patient treatment to veterans and their dependents subject to availability of spare capacity, beds, facilities and infrastructure. It may please be ensured that referrals to ECHS empanelled hopitals should be done, if inescapable and if requisite resources are not available with the concerned service hospital.

3. All ranks may please be senitised to give due attention to using their soft skills with empathy and positive problem solving attitude while dealing with veterans and their dependents.

4. This has the approval of DGMS (Army).

Sd/-xx
Col
Col Med (Health)
For DGMS (Army)

Copy to :- SO to AG

## <u>पेंशन से सम्बंधित जानकारी</u>

1. Linkage of full pension with 33 years qualifying services has been dispensed with from 01 Jan 2016.

2. Pension will be 50% of pay last drawn or average emolument drawn during the last 10 months whichever is beneficial. Minimum service for pension is 15 years.

3. Amount of pension shall not be less 50% of the sum of the minimum of may in pay matrix, MSP, classification allowance and X group pay, if any.

4. <u>Emoluments</u>. Pay in pay matrix + MSP + Classification Allowance + X Group Pay, if any.

5. <u>Pension Limit</u>.

| | | |
|---|---|---|
| (a) | Minimum pension | - Rs. 9000/- pm. |
| (b) | Maximum pension | - Rs. 1,25,000/-pm. |
| (c) | Minimum family pension | - Rs. 9000/-pm. |
| (d) | Maximum family pension (enhanced rate) | - Rs. 1,25,000/- pm. |
| (e) | Maximum family pension (normal rate) | - Rs. 75,000/-pm. |

6. In case of death while in service, enhanced rate of OFP will be payable for a period of 10 years, without any upper age limit from the date of following the date of death of the personnel, to the family of deceased. In case of childless widow, OFP will continue even after his/her remarriage and shall cease once his/her independent income from all the sources become equal to or higher than the minimum prescribed family pension.

8. The dependency criteria for purpose of family pension to parents/child shall be the minimum family pension alongwith dearness relief thereon.

9. Additional Pension/Family Pension for Pensioners of 80 years and above. The additional pensions is admissible to all service/family/disability pensioner as follows :-

| Age of Pensioner/Family Pensioner | Additional Pension Entitled |
|---|---|
| From 80 years to less than 85 years | 20% of revised basic pension/family pension |
| From 85 years to less than 90 years | 30% of revised basic pension/family pension |
| From 90 years to less than 95 years | 40% revised basic pension/family pension |
| From 95 years to less than 100 years | 50% revised basic pension/family pension |
| 100 years or more | 100% revised basic pension/family pension/full pension |

**HEIRS AND THEIR ELIGIBILITY FOR FAMILY PENSION**

| Ser No | Heir | Remarks |
|---|---|---|
| 1. | Widow | For Life. |
| 2. | Son | Till 25 year of age or upto the date of earning exceeds Rs. 9000/- pm or date of marriage whichever is earlier. |
| 3. | Widowed/Divorced and unmarried Daughter | Upto the date of earning exceeds Rs. 9000/- pm or marriage/re-marriage whichever is earlier or otherwise for life. |
| 4. | Mentally/Physically challenged son/daughter | Upto the date of earning exceeds Rs. 9000/- pm otherwise for life. |
| 5. | Parents(Mother and Father) | For life to parents whose income from all other sources is less than Rs. 9000/- pm |

## PERSONS NOT ENTITLED FOR PENSION

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **Service Penion.** | |
| | (a) | Personnel who have rendered less than 15 years of qualifying service. |
| | (b) | Personnel who are discharged in large number in pursuance of Govt policy with less than 15 years of qualifying service without sanction of President. |
| | (c) | World War veterans who have rendered less than 15 years of qualifying service and where retrenched from service. |
| | (d) | Honorary rank pension is not admissible to those who are conferred Hony Rank after the date of discharge except Hony Nb Sub. |
| | (e) | Personnel who are dismissed from service under Army Act 1950. |
| | (f) | Personnel who are declared deserter. |
| 2. | **Family Pension**. | |
| | (a) | No family pension is admissible in cases where the ex-serviceman was not pensioner on the date of his date. |
| | (b) | Two family pensions are not admissible for the same person and same casualty. |
| | (c) | Family pension is not admissible to the second widow whom the deceased had married during the life time of the first widow. |
| | (d) | Family pension is not admissible to parent where deceased has left behind widow and children. |
| 3. | **Disability Pension**. | |
| | (a) | No disability pension is admissible to those whose invaliding disability has been rejected or accepted at less than 20%. |
| | (b) | Those who are discharged at their own request. |
| | (c) | Disability pension sanction for a limited period can not be continued unless a fresh PPO is issued on recommendation of a Re -Survey Medical Board. |

## Ekkjk nn uk tkus dkb

, HkhM e jgu oky bUlku
,d ckj onh igu d fn[kk A

jkr d ?kli v/kj e tc nfu;k lkrh g
Rk eLrn [kMk] tkx d rk fn[kk A

CkkMj dh BMh gok e pydj
?kj dh rjQ eM d rk fn[kk A

?kj l pyu l igy iRuh dk
vxyh Nðh d liu rk fn[kk A

dy Nðh vkmxk ckydj cPpk dk
Qku ij gh pkdyV f[kyk d rk fn[kk A

Fkdh gb vk[kk l ;kn dju oky
Ekk&cki dk viuk eLdjkrk pgjk rk fn[kk A

; lc djr le;
n'eu dh xkyh lhu ij ydj rk fn[kk A

vkf[kjh lkl yr le;
frjx dk lyke djd rk fn[kk A

Nðh l ykVr oDr cPpk d vkl] ek&cki dh cclh]
iRuh dh ykpkjh dk utjvnkt djd rk fn[kk A

jfxLrku dh xeh] fgeky; dh BM
D;k gkrh g ogk vkdj rk fn[kk A

Tkxy e nxy] uDlfy;k dk exy
dHkh vEc'k e ,d jkr cB dj rk fn[kk A

;g onh ejh vku] cku vkj 'kku g
vxj ne g rk ,d ckj onh igu d rk fn[kk A

# निदेशालय सैनिक कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश स्थित हमीरपुर – 177001

## शुरवीर हितैषी पत्रिका लेने हेतु
अंशदान फार्म **(Subscription Form)**

1. Army No ______________________________
2. Rank ______________________________
3. Name ______________________________
4. Mobile Number ______________________________
5. Permanent Home Address :
   (जहाँ पत्रिका लेना चाहते हैं) ______________________________
   ______________________________
6. Pin Code ______________________________
7. Subscription Amount ______________________________
   (For life Rs. 500/-)
8. Mode of Payment : Bank draft in favour of the Editor Shurveer Hitaishi Patrika HP at Hamirpur

**Place :** ____________

**Dated :** _____________

______________________________
**(Signature of the Applicant)**

दिव्य हिमाचल

# भूतपूर्व सैनिकों की शादीशुदा बेटियों को भी आरक्षण

सरकार ने वैकल्पिक रूप से दी इजाजत, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रहेगा इंतजार

# 70 वर्ष से ऊपर के नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों के लिए आय सीमा का पेच खत्म

हमीरपुर। सैनिक कल्याण विभाग के सौजन्य से 70 वर्ष से ऊपर के नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों के लिए आय का पेच समाप्त हो गया है। 60 से 70 वर्ष की आयु वाले नॉन पेंशनरों के लिए ही विभाग ने आय की सीमा तय की है। विभाग ने 60 से 70 वर्ष के बीच के नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं की वार्षिक आय सीमा 35 हजार रुपये वार्षिक तय की है।

35 हजार से कम उम्र वाले 60 से 70 वर्ष तक के नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों को ही यह मासिक पेंशन मिलेगी। 70 वर्ष के ऊपर के नॉन पेंशनरों के लिए आय सीमा तय नहीं है। सूबे के नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों को सरकार तीन हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देती है। पूर्व सैनिकों की मृत्यु के बाद यह पेंशन उनकी विधवाओं को मिलती है। नॉन पेंशनर पूर्व सैनिक वे हैं, जिन्होंने भारतीय सेना में युद्धों में भाग लिया है और किसी कारणवश सेना छोड़कर या उन्हें घर भेज दिया गया है। ऐसे पूर्व सैनिकों के लिए सेना की तरफ से पेंशन का प्रावधान नहीं है, लेकिन प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग के सौजन्य से ऐसे नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों को सरकार तीन हजार प्रतिमाह पेंशन देती है। प्रदेश में करीब 1200 नॉन पेंशनर हैं, जबकि करीब 400 सैनिक विधवाएं शामिल हैं। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर मदन शर्मा का कहना है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के नॉन पेंशनरों के लिए कोई आय सीमा नहीं है। 60 से सत्तर साल तक के नॉन पेंशनरों की वार्षिक आय 35 हजार रुपये तक होनी चाहिए।

नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों और विधवाओं को दी जाती है 3000 रुपये मासिक पेंशन

# पूर्व सैनिकों में नौकरी का उत्साह

हमीरपुर में हजारों ने दिए साक्षात्कार

# को मैरिज ग्रांट नहीं

अमर उजाला | प्रदेश | amarujala.com

# दूसरे विश्व युद्ध की वीर नारि[यों] और पूर्व सैनिकों की पेंशन ब[ढ़ी]

इस माह से वीर नारियों को तीन के बजाय पांच, पूर्व सैनिकों को मिलेंगे दस ह[जार]

दिव्य हिमाचल

# स्कॉलरशिप से हटा इन्कम का पेंच

# पूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं की वृद्धावस्था पेंशन को हटी आय शर्त

अधिसूचना जारी, 35 हजार से कम वार्षिक आय की लगाई थी शर्त

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। हिमाचल सरकार ने पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए वृद्धावस्था पेंशन के लिए रखी आय शर्त हटा दी है। अब तक इसके लिए 35 हजार रुपये से कम की वार्षिक आय शर्त रखी गई थी।

अब ऐसी कोई शर्त नहीं होगी। दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लेने वाले सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए भी आय की यही शर्त थी, जो अब नहीं होगी। इस प्रावधान का लाभ प्रदेश के लाखों पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को होगा।

दूसरे विश्व युद्ध के सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए भी नहीं होगी शर्त

# नॉन पेंशनर्ज को तीन हजार पेंश[न]

# छात्रवृत्ति में फंसा पेंच दूर करेगा सैनिक बोर्ड

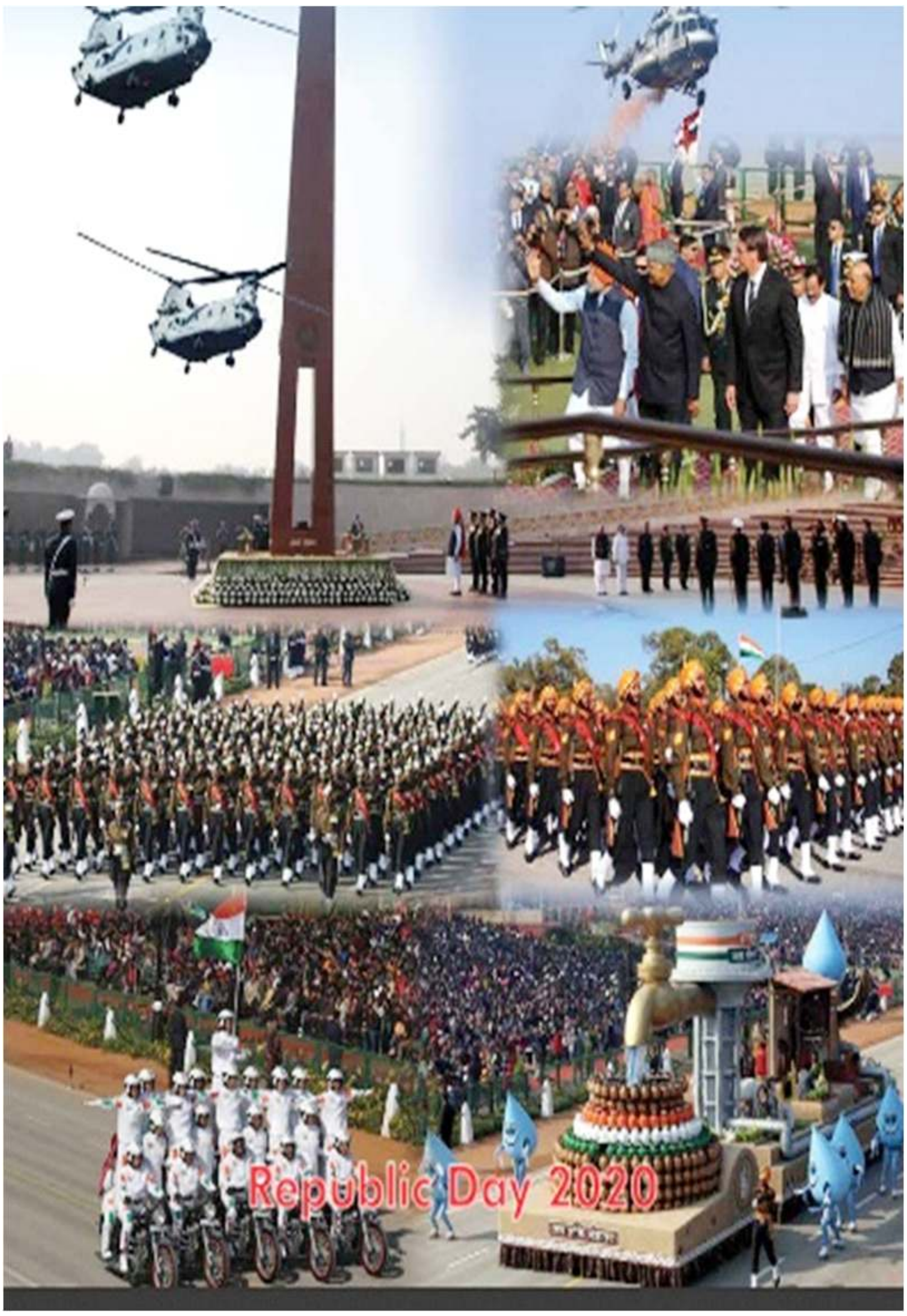
Republic Day 2020